बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 91 / 2019– 479

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 04/06/2020

विषय – रोहतास जिलान्तर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2572 हे० वन भूमि का "मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – इस कार्यालय का पत्रांक व.सं. / 91 / 2019–451 दिनांक 29.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक व.सं. / 91 / 2019–451 दिनांक 29.05.2020 द्वारा विषयाधीन परियोजना पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया था जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि का रकबा 0.2572 हे० के जगह भूलवश 0.2575 हे० अंकित हो गया है। त्रुटि को संशोधित कर प्रस्ताव को पुनः भेजी जा रही है।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 07.11.2014, एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

3. रोहतास जिलान्तर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2572 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

4. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई0) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.2572 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन के साथ परियोजना निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूरा करने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास एवं वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

5. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तावित परियोजना रेखांकण के मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2572 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,06,532/– की 50% राशि रू० 1,03,266/–(रूपये एक लाख तीन हजार दो सौ छियासठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी दर पर रू० 7,29,862/– राशि देय होगी।

8. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

9. अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

10. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
04.6.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143
ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com